श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2011 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- यथापंजी।

1. **लोकसेवा का अधिकार अधिनियम :-**

लोकसेवा का अधिकार अधिनियम के तहत् आई0 टी0 मैनेजर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार जाति, आय एवं आवासीय प्रमाणपत्र की समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी धरहरा द्वारा दिनांक 05.12.2011 तक के आवेदनों को ही निष्पादित किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि भविष्य में यदि इतना विलम्ब होता है तो विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

दाखिल खारिज संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.12.2011 को प्रखंड कार्यालय असरगंज के निरीक्षण के क्रम में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दाखिल खारिज के 259 मामले लम्बित थे जिसमें 127 मामले की समयावधि समाप्त हो चुकी थी एवं 105 मामले का निष्पादन कर असरगंज अंचल कार्यालय के लिपिक मनीष कुमार को उपलब्ध करा दिया गया था।

अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर को निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी असरगंज/ संबंधित लिपिक मनीष कुमार से सेवा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय कार्रवाई हेतु प्रपत्र "क" गठित कर यथाशीघ्र भेजें।

2. **भू अभिलेख कम्प्युटराईजेशन :-**

गत् बैठक में सदर, जमालपुर, धरहरा, बरियारपुर, टेटियाबम्बर, संग्रामपुर के अंचल अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व [redacted]

अंचल स्तर पर भू अभिलेखों को अद्यतन संधारित करने हेतु विभागीय पत्र की छायाप्रति सभी अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराने के उपरान्त प्रदत्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। भू अभिलेखों के डाटा इंट्री करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि भू अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का कार्य अद्यतन चालू [redacted]

4. **भू – लगान :–**

भू–लगान के प्रतिवेदनानुसार पाया गया कि अंचल अधिकारी टेटियाबम्बर एवं अंचल अधिकारी संग्रामपुर के द्वारा काफी कम वसूली की गयी है। अंचल अधिकारी टेटियाबम्बर द्वारा माह नवम्बर में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अत्यन्त कम वसूली की गयी है। निदेश दिया गया कि माह दिसम्बर में लक्ष्य के अनुसार लगान वसुली करेंगे।

गत बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि भू–लगान से संबंधित वसूली की गयी राशि को कोषागार में जमा करेंगे एवं जिला राजस्व शाखा को ससूचित करेंगे, परन्तु किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा कोषागार में राशि जमा करने संबंधी प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुनः सभी अंचल अधिकारियों को चेतावनी दी गयी कि अगली बैठक तक अवश्य भू–लगान की राशि कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. **दाखिल खारिज**

दाखिल खारिज से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल अधिकारी सदर में 1370, जमालपुर में 1017, धरहरा में 457, बरियारपुर में 1123, ह0 खड़गपुर में 1138, टेटियाबम्बर में 302, तारापुर में 778, असरगंज में 595 एवं संग्रामपुर में 470 वादों का निष्पादन किया गया है। समीक्षा के क्रम में यह भी बात प्रकाश में आयी कि निष्पादन के पश्चात अंचल अधिकारी निष्पादित अभिलेखों को अपने पास ही रखते हैं एवं कार्यालय सहायक के माध्यम से शुद्धिपत्र का वितरण किया जाता है यह कृत्य सेवा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है जो क्षम्य योग्य नहीं है।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि आर0 टी0 पी0 एस0 काउन्टर से ही शुद्धिपत्र बॅटवाना सुनिश्चित किया जाय। जांच के क्रम यदि यह पाया जाता है कि अभी भी कार्यालय सहायक द्वारा दाखिल–खारिज के शुद्धिपत्र का वितरण किया जा रहा है तो अंचल अधिकारी एवं संबंधित लिपिक के विरूद्ध सेवा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

6. सैरात :-

सैरात वसूली से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह नवम्बर 2011 में कुल 1543829/- रूपये की वसूली हुई है। गत् बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण सैरात से संबंधित अंचल अधिकारियों को पुनः निदेश दिया जाता है कि सभी सैरातों का सैरातवार सूची तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही बड़े बकायदारों द्वारा सन्निहित राशि नहीं दिये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध नीलाम पत्र दायर करेंगे। यदि निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि इस तरह का कृत्य लापरवाही का द्योतक है एवं उनके विरूद्ध सरकार को लिखा जाएगा। बरियारपुर के हाट के बारे में अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा बताया गया कि तत्काल विभागीय वसूली की जा रही है। उन्हें निदेशित किया गया कि जल्द से जल्द वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व बन्दोबस्ती हेतु प्रभारी पदाधिकारी, माल सेस कार्रवाई करेंगे।

7. खेसरा पंजी :-

गत् बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि खेसरा पंजी विहित प्रपत्र में तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

सभी अंचल अधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि सम्भावित सर्वे में देखते हुए खेसरा पंजी तैयार कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विभाग से लगातार स्मार पत्र प्राप्त हो रहा है। विदित हो कि खेसरा पंजी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग सर्वे करने में है, अतः इतने महत्वपूर्ण कार्य में किसी तरह की शिथिलता अंचल अधिकारी द्वारा बरती जाती है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

8. अभिधारी खाता पुस्तिका :-

अभिधारी खाता पुस्तिका से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। विदित हो कि पूर्व वर्षों का प्रतिवेदन ही कार्यालय में संधारित है जबकि सभी अंचल अधिकारियों को खाता पुस्तिका को प्रति अंचल दस हजार प्रपत्र वर्ष 2008 में ही छपवा कर उपलब्ध कराया गया था। आप अवगत है कि यह मामला सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन से संबंधित है, अतः ऐसी स्थिति में इस कार्य में गति लाना आवश्यक है।

9. स्थापना :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत् बैठक में अंचल अधिकारी तारापुर को निदेश दिया गया था कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल खारिज अभिलेखों के निष्पादन के पश्चात् श्री अरविन्द कुमार लिपिक द्वारा शुद्धिपत्र का वितरण नहीं किया गया है। इसी प्रकार शैलेन्द्र कुमार विपिन द्वारा भी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अपने पास रखा गया है एवं वितरण नहीं किया गया है, के आरोप में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को भेजना था, परन्तु अभी तक स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी तारापुर को पुनः निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द स्पष्टीकरण प्राप्त कर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि माह जनवरी तक अपने - अपने कार्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देंगे। अंचल स्तर पर पूर्व से रखे संचिकाओं में महत्वपूर्ण कागजातों का भी जो लाल कपड़ा में गठरी के रूप में बाँधकर रखा हुआ है, उसे भी भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे। खासकर भूतपूर्व जमींदारों द्वारा दिये गये जमींदारी रिटर्न एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित अभिलेख यदि उनके अंचल में उपलब्ध है तो अधोहस्ताक्षरी को ससूचित करेंगे।

10. सम्पर्क सड़क :-

सम्पर्क सड़क योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मो0 3688750/-(छत्तीस लाख अट्ठासी हजार सात सौ पचास) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिला में कुल 5 (पॉच) सड़क योजना हेतु भूमि अधिग्रहण करना है। सिर्फ अंचल अधिकारी संग्रामपुर द्वारा प्रस्ताव अधिग्रहण हेतु भेजा गया है । संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव दें चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर है।

11. लोक भू - अतिक्रमण :-

लोक भू-अतिक्रमण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा एक भी मामला निष्पादन नहीं किया गया है। गत बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया था कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण हटाने का दायित्व उनका ही है। संबंधित हल्का राजस्व कर्मचारी से सर्वेक्षण कराकर यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित व्यक्ति द्वारा यदि लोक भूमि का अतिक्रमण किया गया है तो अविलम्ब अमिक्रमण वाद दायर कर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई करेंगे।

12. <u>महादलित :-</u>

महादलित परिवारों के लिए महादलित विकास योजनान्तर्गत पूर्व से सर्वेक्षित कुल 3543 परिवारों में से गैरमजरूआ आम/खास भूमि से कुल 1762 वास रहित परिवारों, 1587 परिवारों को वासगीत पर्चा के तहत एवं 87 वासरहित परिवारों को क्रय नीति के तहत जमीन खरीद कर आच्छादित कर दिया गया है। शेष जमालपुर अंचल में 13 एवं बरियारपुर अचंल में 10 परिवारों, एवं ह0 खड्गपुर अंचल में 84 वासरहित परिवारों को रैयती भूमि क्रय कर बसाने हेतु लंबित है। संबंधित अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि लाभुकों से सहभागिता प्राप्त कर रैयती भूमि को चिन्हित कर विक्रेता से सम्पर्क स्थापित करते हुए भूमि का प्रस्ताव भेजे ताकि विभाग से कुल मो0 48100.00 चार लाख एकासी हजार रूपये मात्र (क्रय नीति के तहत भूमि क्रय करने हेतु) प्राप्त आवंटन को उपावंटित किया जा सके।

अन्त में, धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

30/12/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 842 /रा0, दिनांक 30-12-11

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 842 /रा0, दिनांक 30-12-11

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।